

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

प्रशिक्षु अधिनियम, 1962 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षुओं को शिष्यवृत्ति मद में राशि ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 4

नवगठित 9 जिलों में 9 नवीन खण्ड (सिविल) कार्यालयों हेतु 198 पदों तथा 9 नवीन उपखण्ड (वि/यां.) कार्यालयों की हेतु 63 पदों की निम्नानुसार संरचना एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि 100.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	खण्ड कार्यालय (सिविल) पदसंख्या	उपखण्ड कार्यालय (वि/यां.) पदसंख्या
1.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	15600-39100	6600	9	0
2.	सहायक अभियंता (सिविल)	15600-39100	5400	9	0
3.	सहायक अभियंता (वि/यां.)	15600-39100	5400	9	9
4.	उपअभियंता (सिविल)	9300-34800	4200	9	0
5.	उपअभियंता (वि/यां.)	9300-34800	4200	18	18
6.	मानचित्रकार	9300-34800	4200	9	0
7.	संभागीय लेखापाल	9300-34800	4200	9	0
8.	सहायक मानचित्रकार	5200-20200	2400	9	0
9.	अनुरेखक	5200-20200	2400	9	0
10.	केमिस्ट	5200-20200	2400	9	0
11.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	18	9
12.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	27	9
13.	वाहन चालक	5200-20200	1900	9	0
14.	दफ्तरी	4750-7440	1400	9	0
15.	भृत्य	4750-7440	1300	18	9
16.	चौकीदार	4750-7440	1300	18	9
योग				198	63

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

गतिवर्द्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रांश राशि ₹ 162.19 लाख तथा राज्यांश राशि ₹ 54.06 लाख सहित कुल राशि ₹ 216.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,16,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7 से 8

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण मद में राशि ₹ 100.00 लाख तथा सूचना प्रौद्योगिकी मद में राशि ₹ 300.00 लाख सहित कुल राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता हेतु जलमणि कार्यक्रम पर राशि ₹ 110.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

रायगढ़ जल आवर्द्धन योजना (अनुमानित लागत ₹ 400.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में पानी टंकी निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 100.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

कबीरधाम जिले की बोड़ला जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत ₹ 318.22 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

कबीरधाम जिले की पिपरिया जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत ₹ 288.30 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

अभनपुर जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत ₹ 306.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215**मद क्रमांक 15**

तमनार जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत ₹ 332.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।